संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
6वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)

ई–मेल :– dme12001@yahoo.com
दूरभाष नम्बर :– 0755–2551719
वेबसाईट :– www.medicaleducation.mp.gov.in
फैक्स :– 0755–2551719

क्रमांक 164 /स्था./अराज/2019, भोपाल, दिनांक 02/03/2019

प्रति,

अधिष्ठाता,
चिकित्सा महाविद्यालय,
इन्दौर, म.प्र.।

विषय :– चिकित्सकीय संवर्ग की अनुसूची खण्ड–अ के संबंध में।

––00––

विषयांकित संदर्भित पत्र में लेख है कि **"मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम, 2018"** के अनुसार चिकित्सकीय संवर्ग की अनुसूची खण्ड–(अ) की अनुसूची 1, 2, 3, 4 एवं चिकित्सकीय, परिचारिका एवं सह चिकित्सकीय संवर्ग की अनुसूची–5 मूलतः आपकी ओर हस्ताक्षर हेतु प्रेषित की जा रही है। प्रेषित अनुसूचियों में हस्ताक्षर कर छायाप्रति अपने पास सुरक्षित रखते हुये मूल हस्ताक्षरित अनुसूचियाँ तत्काल संचालनालय को वापस भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– मूलतः अनुसूची 1,2,3,4 एवं 5।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

O/C

पृ. क्रमांक 165 /स्था./अराज/2019, भोपाल, दिनांक 02/03/2019

प्रतिलिपिः–

1. संभागीय आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

O/C

F:/DME/Letter 251

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
(शासकीय स्वशासी संस्था) महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर
कार्यालय दूरभाष नंबर :– 0731–2527383, 2527679 ईमेल :– deanliabrary@gmail.com
फैक्स नंबर :– 0731–2514628

क्रमांक 317 स्था / वि / 2019 इन्दौर, दिनांक 6/3/19

प्रति,

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
भोपाल म.प्र.

विषयः– चिकित्सकीय संवर्ग की अनुसूची अनुसूची 1,2,3,4 एवं 5 में हस्ताक्षर के संबंध में।
संदर्भ :– संचालनालय का पत्र क्रमांक 164 / स्था / अराज / 2019 / भोपाल दिनांक 02.03.2019 ।

———000———

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित चिकित्सकीय संवर्ग की अनुसूची 1,2,3,4 एवं 5 हस्ताक्षर कर मूलतः संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न :– 06 पेज

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शा.स्व.म.गॉ.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश
क्रमांक 6205
08/3/19
कार्या.अधी. डी.एम.ई. / सी.एम.ई.

शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर
खण्ड – अ चिकित्सकीय संवर्ग के सृजित पदों की जानकारी

क्र.	पदनाम	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	पद संख्या
1	आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का सेटअप वर्ष जनवरी 1966	04
2	असिस्टेंट सर्जन एवं रेसीडेंट मेडिकल ऑफिसर	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का सेटअप वर्ष जनवरी 1966	16
3	सहायक शल्य चिकित्सक	मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का ज्ञाप क्र. 1038/252/17/मेडि–5 दिनांक 22.06.1989	01
4	असिस्टेंट सर्जन	मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग का ज्ञाप क्र. एफ 1–15/96/55/चिशि/3 दिनांक 09.01.1997	03
5	सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी	मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग का ज्ञाप क्र. 1–19/2009/2/55 दिनांक 04.02.2010	04
6	सहायक शल्य चिकित्सक	मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का ज्ञाप क्र. एफ 12–1/2019/17/मेडि–3 दिनांक 09.01.2019	03
		योग	31

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर

एवं अधिष्ठाता
म. गां. स्मृति चिकित्सा महा. एवं
म्बद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था)
इन्दौर (म. प्र.)

शिव शेखर शुक्ला
आई.ए.एस.
आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

(डॉ.श्रीमती उल्का श्रीवास्तव)
संचालक चिकित्सा शिक्षा

(विजय देव वर्मा)
कनिष्ठ लेखाधिकारी

शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर

अनुसूची–एक

(नियम 4.1 देखिये)

खण्ड–अ चिकित्सकीय संवर्ग

अनु. क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन बैण्ड+ग्रेड पे
1	2	3	4
1	सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी	27	15600–39100+5400
2	आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी	04	15600–39100+5400

टीपः– अनुसूची में उल्लेखित पद राज्य शासन द्वारा स्वीकृत होकर अनुदान के पद है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय स्वशासी महामा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर (म.प्र.)

(विजय देव वर्मा)
कनिष्ठ लेखाधिकारी

शिव शेखर शुक्ला
आई.ए.एस.
आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

(डॉ.श्रीमती उल्का श्रीवास्तव)
संचालक चिकित्सा शिक्षा

शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर

अनुसूची–दो

(नियम 5.1 देखिये)

खण्ड–अ चिकित्सकीय संवर्ग

अनु. क्रमांक	पद का नाम	कर्त्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत	
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति/सीधी भर्ती द्वारा
1	2	3	4	5
1	सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी	27	100%	-
2	आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी	04	100%	-

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय स्वशासी महामा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर (म.प्र.)

(विजय देव वर्मा)
कनिष्ठ लेखाधिकारी

शिव शेखर शुक्ला
आई.ए.एस.
आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

(डॉ. श्रीमती उल्का श्रीवास्तव)
संचालक, चिकित्सा शिक्षा

शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर

अनुसूची–तीन

(नियम 5.2 देखिये)

खण्ड–अ चिकित्सकीय संवर्ग

स. क्र.	अनुसूची 1 का स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताऐ	सेवानिवृत्ति की अधिवार्षिकी आयु
1	2	3	4	5	6
1	1	सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी	25 वर्ष	एम.सी.आई द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।	65 वर्ष
2	2	आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी	25 वर्ष	एम.सी.आई द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।	65 वर्ष

टीपः–

1. अनुसूची के कॉलम 5 में उल्लेखित अर्हताओं में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् या मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्, द्वारा परिवर्तन किए जाने पर तदानुसार परिवर्तित अर्हताएं स्वयं ही लागू होंगी ।
2. कार्यकारिणी समिति समय–समय पर संकल्प पारित कर पद विशेष के लिए अतिरिक्त अथवा अन्य अथवा दोनों अर्हताएं निर्धारित कर सकेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय स्वशासी महामा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर (म.प्र.)

म. गां. स्मृति चिकित्सा महा. एवं संबद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था) इन्दौर (म.प्र.)

शिव शेखर शुक्ला
आई.ए.एस.
आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

(डॉ.श्रीमती उल्का श्रीवास्तव)
संचालक चिकित्सा शिक्षा

(विजय देव वर्मा)
कनिष्ठ लेखाधिकारी

शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर

अनुसूची—चार

(नियम 7.2 देखिये)

खण्ड—अ चिकित्सकीय संवर्ग

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जावेगी	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जायेगी	कॉलम (2) में दर्शित किए गए पद पर न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव पदोन्नति के लिए	विभागीय चयन/पदोन्नति समिति के सदस्यों के पदनाम
1	2	3	4	5
चिकित्सा शिक्षा विभाग (शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर)	निरंक			

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय स्वशासी महोमा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर (म.प्र.)

म. गां. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय (स्वशासी संस्था) इन्दौर (म.प्र.)

शिव शेखर शुक्ला
आई.ए.एस.
आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

(डॉ. श्रीमती उल्का श्रीवास्तव)
संचालक चिकित्सा शिक्षा

(विजय देव वर्मा)
कनिष्ठ लेखाधिकारी

<u>शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर</u>

अनुसूची–पांच

(नियम 11.1 देखिए)

चिकित्सकीय, परिचारिका एवं सह चिकित्सकीय संवर्ग

स.क्र.	अवकाश का प्रकार	विवरण
1	आकस्मिक / विशेष / ऐच्छिक अवकाश	अनुसूची–एक के खण्ड अ, ब एवं स में उल्लेखित संवर्गो के पदों पर नियुक्त व्यक्ति को केलेण्डर वर्ष में की गई सेवा के अनुपात में नियमानुसार अवकाश उपभोग करने की पात्रता होगी।
2	अर्जित अवकाश	केलेण्डर वर्ष में 30 दिवस का अर्जित अवकाश। उस केलेण्डर वर्ष में की गई सेवा के अनुपात में। किसी व्यक्ति के अवकाश खाते में अधिकतम 300 दिवस का अर्जित अवकाश जमा रह सकेगा। 300 दिवस से अधिक का अवकाश स्वतः ही व्यपगत हो जाएगा। माह के मध्य में नियुक्ति होने पर अर्जित अवकाश की गणना $2^{1/2}$ दिवस प्रति सम्पूर्ण माह की दर से की जायेगी।
3	अर्द्धवैतनिक / लघुकृत अवकाश	केलेण्डर वर्ष में 20 दिवस अर्द्धवैतनिक चिकित्सा अवकाश केलेण्डर वर्ष में की गई सेवा के अनुपात में।
4	प्रसूति अवकाश	महिला चिकित्सकीय, परिचारिका तथा सह चिकित्सकीय संवर्ग के व्यक्ति को दो से कम जीवित संतान होने की दशा में 180 दिवस के प्रसूति की अवकाश की पात्रता होगी।
5	पितृत्व अवकाश	पुरूष चिकित्सकीय, परिचारिका तथा सह चिकित्सकीय संवर्ग के व्यक्ति को दो से कम जीवित बच्चे होने पर 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी। प्रसव के 15 दिन पहले अथवा 15 दिन बाद से 6 महीने की अवधि मे न लेने पर व्यपगत **(Lapse)** हो जावेगा।
6	अध्ययन अवकाश	**संवर्ग की पात्रता अनुसार** सम्पूर्ण सेवाकाल में प्रवेशित पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर व्यक्ति को अध्ययन अवकाश का पूर्ण वेतन तथा महंगाई भत्ता (अन्य भत्ते नहीं) की पात्रता होगी । अध्ययन अवकाश 05 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने तथा अवकाश के उपरान्त 03 वर्ष से अधिक का समय सेवानिवृत्त हेतु शेष होना आवश्यक होगा।
7	संतान पालन अवकाश	महिला चिकित्सकीय, परिचारिका तथा सह चिकित्सकीय संवर्ग के व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान उसकी दो जयेष्ठ जीवित संतानो की देखभाल के लिये अधिकतम 730 दिवस की कालावधि का संतान देखभाल अवकाश एक केलेण्डर वर्ष में अधिकतम तीन बार स्वीकृत किया जावेगा। जिसमें संतान का 18 वर्ष की आयु से कम होना आवश्यक है। परन्तु सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 16–18 / 97–एन 1.1, दिनांक 1 जून, 2001 में यथा विनिर्दिष्ट कम से कम चालीस प्रतिशत निःशक्तता वाली बाईस वर्ष से कम आयु की संतान हेतु मान्य होगा।

टीप :–

1. अवकाश का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकेगा । अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी लोकहित में अवकाश स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने एवं स्वीकृत अवकाश को रदद् करने का निर्णय ले सकेगा ।
2. सक्षम प्राधिकारी संबंधित आवेदन पर स्वीकृत अवकाश के प्रकार को किसी अन्य प्रकार के अवकाश में परिवर्तित कर सकेगा ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता

शासकीय स्वशासी महामा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर (म.प्र.)

शिव शेखर शुक्ला
आई.ए.एस.
आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

(डॉ. श्रीमती उल्का श्रीवास्तव)
संचालक चिकित्सा शिक्षा

(विजय देव वर्मा)
कनिष्ठ लेखाधिकारी